I/109178/2023

संख्या– /XXVII(6)/ई0–41280/2023

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0, संधु
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च, 2023।

विषय– राज्य के समस्त शासकीय विभागों में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली को लागू किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–02 (2) में कार्मिकों के अवकाश के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान हैं:–

(2) अधिष्ठान से संबंधित कार्य के लिए दिशा–निर्देशः–

1. प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधिष्ठान से संबंधित कर्मचारियों के दावों, अवकाश, अग्रिम स्वीकृति करना, सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिकाओं आदि के सम्पादन में वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
2. प्रत्येक कार्मिक के सेवा पुस्तिका में दर्ज सेवा संबंधी समस्त अभिलेखों यथा नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, पदावनति आदेश, निलम्बन/स्थानान्तरण आदेश, एल0पी0सी0, समयमान वेतनमान, ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0, स्थानान्तरण आदेश, विभिन्न प्रकार के अग्रिमों, कटौतियों उपार्जित अवकाश के आदेश एवं आवेदन पत्रों आदि को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 फार्मेट में अपलोड किया जायेगा। सेवापुस्तिका में अंकित समस्त सेवा–संबंधी पूर्ण विवरण/सूचनाओं (नियुक्ति से लेकर अद्यावधिक रूप से) को ऑनलाईन भर कर ई–सेवा पुस्तिका तैयार की जायेगी। इसी प्रकार सिस्टम से ही ई–जी0पी0एफ0 पास बुक भी तैयार की जायेगी।
3. कार्मिकों को स्वयं के क्लेम/अग्रिम/अवकाश आदि (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) हेतु ऑनलाईन स्वयं आवेदन करना होगा।
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के स्वयं के दावे/अग्रिम (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) के ऑनलाईन आवेदनों की जांच/परीक्षण का कार्य ऑनलाईन ही किया जायेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत क्लेम/अग्रिम की ऑनलाईन स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान कर दिये जाने के उपरांत तद्विषयक दावों/अग्रिमों के देयकों को संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी एवं उसके अधीनस्थों द्वारा ऑनालाईन तैयार किया जायेगा।

Generated from eOffice by MANOJ SINGH, SO-MS, SO-FINANCE, Finance Department on 24/03/2023 01:54 PM

I/109178/2023

2— अतः उक्त संबंध में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 के माध्यम से फेशलेस, कैशलेस एवं पेपरलेस व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथा भविष्य में एच0आर0एम0एस0 प्रणाली को कार्मिकों के वेतन से लिंक किया जाना प्रस्तावित होने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के समस्त अवकाश संबंधी प्रकरणों को **दिनांक 01.04.2023** से आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल के माध्यम से ही व्यवहृत कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 24-03-2023 09:46:55

(डॉ0 एस0एस0 संधु)
मुख्य सचिव

संख्या— /XXVII(6)/ई0—41280/2023

प्रतिलिपिः—निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्मिकों के वेतन को आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल से लिंक किये जाने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Surendra Narayan Pandey
Date: 24-03-2023 12:[illegible]

(एस0एन0 पाण्डे)
सचिव।